

125

3042 - 7 ✓

तमक्ष माननीय न्यायालय राजस्वमण्डल म०प० ज्वालिघर म०प०
निंग०/०प०क०

श्री राम श्रीवार्त्त लिख
द्वारा आज दि 6-9-16 को
प्रसरण

To
6.9.16
राजस्थान संस्कृत एवं वाक्यालय
whose
appendix.

ब्रजेश कुमार खरे पटवारी हल्का मापौन तह0 टीकमग
जिला टीकमगढ म.पु. .•मिगरानीकरा

• • निगरानीकता

१८८

(1) पानागाई (पनी सकेला) अहिरवारु

(२) हुल्की वाई पत्ती मजोना आस्तेवार

समस्त निवासी ग्राम अटोरथा तह. वजिला टीकमगढ़ प.

३० प्र० शा० सन

• प्रति निगरानीकता

निरानी प्रस्तुत न्यायालय अपरकलेक्टर टीकमगढ़ के न्यायालयीन प्र०क्र।
73./बी.121-2015-16 मे पारित आदेश दिनांक 28/7/2016 के अंतिम
पैराग्राफ के विषय अंतर्गतिधारा 50 मोप० भूराट० स०। 1959

महोदय,

निगरानीकृत की विनाय सादर प्रस्तात है।

प्रतिनिगरानीकरण का लगायत ३ के द्वारा एकआवेदन अधीनस्थ न्यायालय अपर क्लोक्टर टीकमगढ़ के पहाड़ धारा ३२ म.प्र. भूमि रा.सं. १९५९ का प्रस्तुत कर अतिरिक्त तहसीलदार बड़ागावंधसान के प्र०क० ०४४/अ-१९४४/१९५-९६ में पारित आदेश दिनांक २५/४/९६ में जारी प्रारूप "ग" में अंकित प्रश्नाधीन भूमि कुल कर०८ रुपया ५.८८८८० को वर्ष ९५-९६ से १९९-२००० के दूसरा में वर्ज होने के पश्चात वर्ष २००१-से २०१३ तक इन्द्राजी छूट जाने के कारण उसे वर्ज कराने हेतु प्रस्तुत किया गया था उक्त आवेदन पर माननीय अधीनस्थ न्यायालय ने नायब तहसीलदार बड़ाग से प्रतिवेदन मौंगाया और उन्होंने प्र०क० ०४४/अ-१९४४/१९५-९६ जो जोखाता तिलुजा अहिरवार निवासी राशन खेरा के नाम से दायरा रजिस्टर में वर्ज होना बताया है अधीर पर अधीनस्थ न्यायालय ने प्रति निगराकार कृ.। लगायत ३ जो अधीनस्थ न्यायालय में आवेदक थे उनका आवेदन निरस्त कर दिया जिसे निगरानीकरण की शासन द्वितीय में स्वीकार करता है परंतु माननीय अधीनस्थ पीठासीन अधिकारी ने इन कार्यवाही में तत्कालीन के पटवारी जो निगरानीकरण त्वयं था उस पर पथम सचिवा

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

2

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-3042-एक/2016

जिला टीकमगढ़

ब्रजेश विरुद्ध पानाबाई व शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
07-01-2019	<p>1. प्रकरण प्रस्तुत ।</p> <p>2. आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री कुंवर सिंह कुशवाह एवं अनावेदक की ओर से श्रीमती रजनी वशिष्ठ शर्मा उपस्थित । आवेदक के द्वारा अपर कलेक्टर जिला टीकमगढ़ के प्रकरण क्रमांक 73/बी-121/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 28-07-2016 के विरुद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 06-09-2016 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी।</p> <p>3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार –</p> <p>“1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथासंशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ख) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी, और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।”</p> <p>4. अपर कलेक्टर के द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ख) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित संभागीय आयुक्त है । अतः उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर आयुक्त सागर संभाग सागर के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा ।</p> <p>5. अतः उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका के निराकरण हेतु प्रकरण आयुक्त सागर संभाग सागर को अंतरित</p>	<p>पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर</p>

7.1.19

3

किया जाता है। आवेदक दिनांक 27-02-2019 को इस आदेश की सत्यप्रतिलिपि लेकर आयुक्त सागर संभाग सागर के न्यायालय में प्रस्तुत हो।

6. कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख आयुक्त सागर संभाग सागर के न्यायालय में भेज जाये।
7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये।

(आर.क.जैन) २. १. १९
सदस्य